जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर जिला - बस्तर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / निविदा / RIDF / गोदाम / 1422 / 2022-23 / जगदलपुर, दिनांक:- 23/08/2022

मैन्युअल पध्दति निविदा सुचना

नाबार्ड सहायता से गोदाम सह कार्यालय निर्माण योजना 2022 अंतर्गत बस्तर में 7 एवं कांकेर में 11 नवीन समितियों के 200 M.T. गोदाम सह कार्यालय का निर्माण कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायपुर द्वारा प्रचलित जारी S.O.R. दर जो दिनांक 01/11/2021 से लागू के अनुसार प्रतिशत कम/अधिक दर आधार पर मुहर बंद निविदाएँ दिनांक 08/09/2022 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय केवरामुण्डा वार्ड, झंकार टॉकिज के पीछे जगदलपुर छ0ग0 से दिनांक 07/09/2022 सायं 05:30 बजे तक निर्धारित शुल्क रु. 750/- जमा कर प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 08/09/2022 अपरान्ह 3:30 बजे खोली जावेंगी। विस्तृत शर्तें बैंक प्रधान कार्यालय एवं बैंक की वेबसाइट www.dccbjagdalpur.com से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ0 क्रमांक / निविदा / RIDF / गोदाम / 1422 / 2022-23 / जगदलपुर, दिनांक:- 23/08/2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर/ जिला कांकेर।
2. संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं ....।
3. नोडल अधिकारी जिला जगदलपुर/ कांकेर/ कोंडागांव/ नारायणपुर/ सुकमा/ दंतेवाड़ा/ बीजापुर।
4. कक्ष प्रमुख/ लेखा / विपणन / आं. अंकेक्षण / स्थापना / फील्ड प्रधान कार्यालय जगदलपुर।
5. CBS कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

तकनीकी प्रतिवेदन (मॉडल प्राक्कलन)

1	कार्य का नाम	:–	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी समितियो मे गोदाम सह शाप रुम टायलेट निर्माण कार्य
2	कार्य स्थल का नाम	:–	
3	ग्राम पंचायत का नाम	:–	
4	जनपद पंचायत का नाम	:–	जगदलपुर
5	अनुमानित लागत (लाख में)	:–	**25.56**
6	योजना का नाम	:–	RIDF
7	तकनीकी स्वीकृति का अधिकार	:–	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा0यां0सेवा, उप संभाग जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री ,ग्रामीण यांत्रीकी सेवा ,संभाग जगदलपुर
8	प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार	:–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत–बस्तर ,जगदलपुर
9	तकनीकी मापदण्ड	:–	1 भवन के नींव हेतु आर.सी. सी. कॉलम का प्रावधान किया गया है। 2 प्लीथ एवं लिंटल बिम आर.सी.सी.1:2:4 का प्रावधान किया गया है। 3 ईट जोड़ाई सीमेंट ईट/फलाईऐश ईट का कार्य सीमेंट मसाला 1:6 से प्रावधान किया जाता है। 4 छत की ढलाई 10 मिमी.मोटाई में आर.सी.सी. 1:2:4(20 मिमी. आकार की गिट्टी)से प्रावधान किया जाता है। 5 12 मिमी एवं 15 मिमी मोटाई में सीमेंट मसाला 1:6 से दिवाल छपाई कार्य का प्रावधान किया जाता है। 6 फर्श हेतु टाईल्स एवं सीमेंट काक्रीट का प्रावधान है। 7 रंगीन पोताई कार्य दो परत में चूना पोताई सहित।
10	दर	:	छ.ग. शासन (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग)रायपुर द्वारा प्रचलित जारी एस. ओ.आर.दर जो दिनांक 01/11/2021 से लागु के अनुसार कराया जावेंगा। जारी एवं अद्यतन संशोधित दर अनुसूची अनुसार ।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उप-सम्भाग जगदलपुर

उपअभियंता.
ग्रामीण यांत्रीकी सेवा
जनपद जगदलपुर

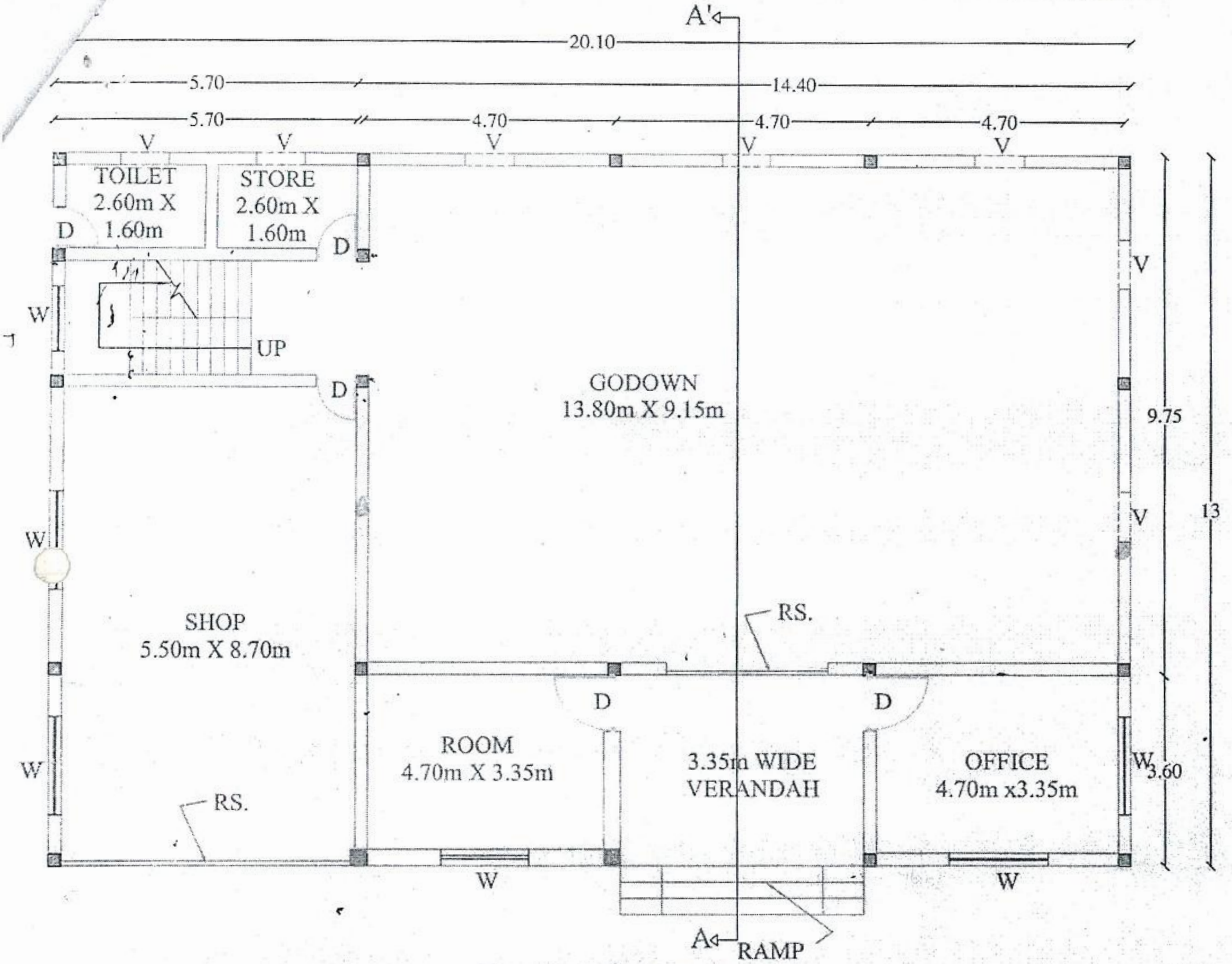

GROUND FLOOR PLAN

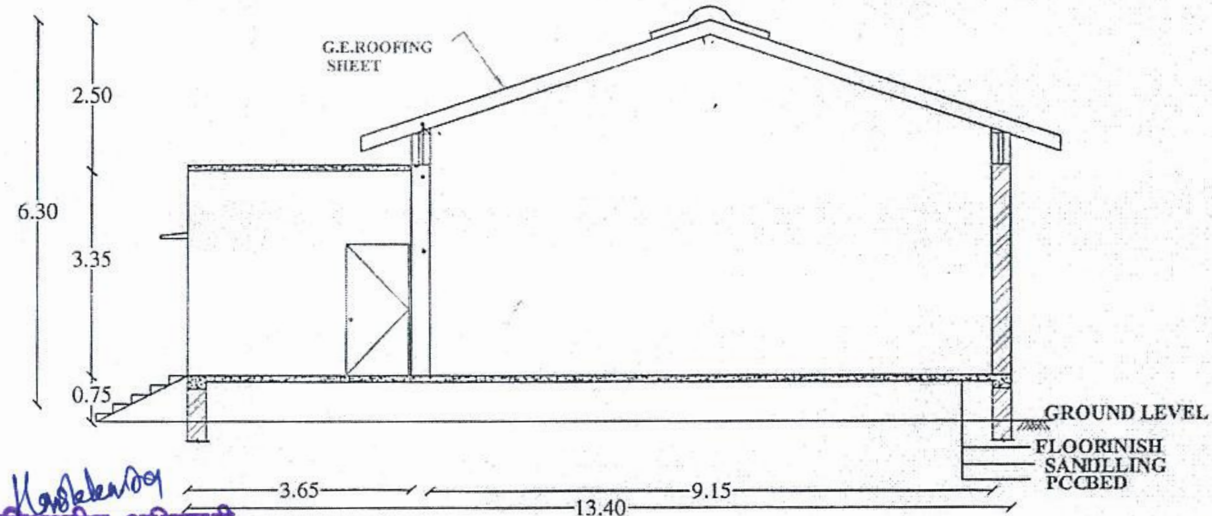

SECTION AT A-A'

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उप-संभाग

PROPOSED PLAN FOR GODOWN BUILDING FOR JILA SAHKARITA DEPARTMENT , RAIPUR (C.G.)	DRAWING NO.- 02	SCALE	ARCHITECT
	DATE- 31-03-2021	DRAWN BY : NAVEEN THAKRE	DILIP PANIGRAHI J-11, NORTH AVENUE, CHOUBEY COLONY, RAIPUR (C.G.) Mobile No. - 98267-07772

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर (छ०ग०)

निविदा प्रपत्र (प्रतिशत दर पर एवं कार्य का अनुबंध) (लागू अनुसूची दर पर)

www.dccbjagdalpur.com

क्रमांक / निविदा / RIDF / गोदाम / 1422 / 2022–23 / जगदलपुर, दिनांक 23 / 08 / 2022

जारी ठेकेदार का नाम	:–	....
पंजीयन श्रेणी	:–	.... क्रमांक :– ...., दिनांक ....
पंजीयन विभाग	:–	....
टेलीफोन नम्बर	:–	....
पता	:–	....
मनी रसीद / ओबीसी क्रमांक	:–	.... दिनांक ....
कार्य का नाम	:–	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति .... में RIDF योजना अंतर्गत गोदाम सह कार्यालय निर्माण कार्य।
निर्माण / कार्य स्थल	:–	1. जिला कांकेर– 1. खरथा 2. लिलेझर 3.पण्डरीपानी 4.उंकारी 5. टाहकापार 6.शाहवाड़ा 7. बादल 8 कुरना 9 बिरनपुर 10 बैजनपुरी 11 हाटकर्रा
अनुमानित लागत	:–	**23.77** लाख (तेवीस लाख सतहत्तर रूपये मात्र –**प्रति केन्द्र**)
अमानत राशि	:–	**17800/-** (सत्रह हजार आंठ सौ रूपये मात्र– **प्रति केन्द्र**)
प्रति निविदा प्रपत्र मूल्य	:–	**750/-** (सात सौ पचास रूपये मात्र –**प्रति केन्द्र**)
कार्य पूर्णता की अवधि	:–	**04 माह** (वर्षाऋतु छोडकर, कार्यादेश दिनांक से)

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि **07 / 09 / 2022** समय सांय **5:30** बजे तक ।

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि **08 / 09 / 2022** समय दोपहर **3:00** बजे ।

निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक **08 / 09 / 2022** समय दोपहर **3:30** बजे ।

<u>ज्ञापन</u>

मैं / हम उपरोक्त कार्य के लिये निविदा निम्न दर पर करने को सहमत है । छ0ग0 शासन RES प्रचलित SOR दिनांक 01 / 11 / 2021 से प्रचलित दरें :–

अंको में दर .... कम / अधिक

शब्दों में दर .... कम / अधिक

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक.............................

नाम.................................

पता ....

....

मो०नम्बर..........................

ज्ञापन

कार्य का नाम	:–	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति .... में RIDF योजना अंतर्गत गोदाम सह कार्यालय निर्माण कार्य।
निर्माण/कार्य स्थल	:–	1. जिला कांकेर– 1. खरथा 2. लिलेझर 3.पण्डरीपानी 4.उंकारी 5. टाहकापार 6.शाहवाड़ा 7. बादल 8 कुरना 9 बिरनपुर 10 बैजनपुरी 11 हाटकर्रा
अनुमानित लागत	:–	**23.77** लाख (तेवीस लाख सतहत्तर रूपये मात्र –**प्रति केन्द्र**)
अमानत राशि	:–	**17800/-** (सत्रह हजार आंठ सौ रूपये मात्र– **प्रति केन्द्र**)
प्रति निविदा प्रपत्र मूल्य	:–	**750/-** (सात सौ पचास रूपये मात्र –**प्रति केन्द्र**)
कार्य पूर्णता की अवधि	:–	**04 माह** (वर्षाऋतु छोडकर, कार्यादेश दिनांक से)

मैंने/हमने निविदा में संलग्न शर्ते/नियम पढ़ लिये है । मुझे/हमें यह नियम/शर्ते मंजूर है ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक ....

गवाह के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :– ....

..

..

व्यवसाय :– ....

..

अनुबंध/नियम व शर्ते

1. निविदा प्रपत्र, छत्तीसगढ़ शासन अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों को ही प्रदाय किया जावेगा ।
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के पूर्व, ठेकेदारी हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, मुख्तारनामा साझेदारी, संविदा, श्रमिक नियम के अन्तर्गत पंजीयन पत्र,GST पंजीयन, आदि की छाया एवं मूलप्रति प्रस्तुत् करना होगा
3. निविदा प्रपत्र बैंक को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की संतुष्टि उपरान्त ही जारी किया जावेगा ।
4. **अमानत राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर की शाखाओं द्वारा जारी FDR के रूप में ही डिपाजिट एटकॉल/atcall बैंक FDR मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के खाते अमानती/earnest राशि के रूप में स्वीकार की जावेगी अन्य बैंकों का FDR स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

5. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होगा ।
6. कार्य मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है ।
7. कार्य निर्धारित **C.P.W.D.** भारत शासन के स्पेसिफिकेशन अनुसार ही किया जाना होगा ।
8. बैंक द्वारा लोहा, छड़, सीमेन्ट, दरवाजे आदि किसी भी प्रकार की निर्माण सामाग्री सप्लाई नहीं किया जावेगा । समस्त सामाग्री ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।
9. सशर्त / कटी फटी एवं अस्पष्ट निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
10. निविदा स्वीकृत की समयावधि सात दिवस (7 दिन) है । उससे पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा वापस ली जाती है, तो उसकी अमानत राशि बैंक हित में राज सात की जावेगी ।
11. ठेकेदार द्वारा निविदा बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में निर्धारित समय तक डालना होगा एवं अमानत राशि का **FDR** व्यक्तिगत रूप से बैंक को देना होगा ।
12. जिन ठेकेदारो ने पूर्व में इस बैंक में काम अधूरा छोड़ा है अथवा बगैर कारण कोई भी अनुबंध नहीं किया है उन ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र नहीं दिया जावेगा ।
13. बैंक किसी भी एक कम्पनी का सीमेन्ट लगाने हेतु बाध्य कर सकता है ।
14. कार्य / बैंक हित में कोई भी विशेष शर्त आरोपित कर सकता है ।
15. कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामाग्री का परीक्षण प्रमाण पत्र बैंक चाहे तो मांग सकता है ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा ।
16. बिल भुगतान राशि से शासकीय नियमानुसार आयकर, GST, श्रमिक कल्याण निधि अमानत राशि एवं अन्य कटौतियाँ की जावेगी ।
17. बिलों का भुगतान तीन किश्तों में किया जावेगा । प्रथम किश्त का भुगतान छत स्तर तक ईटा जुड़ाई, दरवाजा फिटिंग आदि कार्य के पश्चात् मेजर मेन्ट अनुसार **RES SOR दिनांक 01 / 11 / 2021 से प्रचलित दर** अनुसार किया जावेगा । द्वितीय किश्त का भुगतान छत कार्य पूर्ण करने के पश्चात् किया जावेगा एवं तृतीय किश्त का भुगतान कार्य पूर्णतः पश्चात् किया जावेगा ।
18. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा । किसी भी कारण से निर्माण कार्य की समय सीमा नहीं बढ़ाई जावेगी ।
19. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में जमा समस्त राशियों एवं किये गये कार्य को बैंक हित में राजसात कर ली जावेगी । अपूर्ण कार्य अन्य एजेन्सी / बैंक द्वारा कराया जावेगा । अधिक व्यय की राशि राजसात राशि से समायोजित की जावेगी, राशि कम होने की स्थिति में ठेकेदार के द्वारा जमा करना होगा जमा नहीं करने की स्थिति में बैंक उचित न्यायालय के माध्यम से वसूल करेगा ।
20. बैंक द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश उपरान्त ठेकेदार को 500 / – रूपये के नान जूडिसीयल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा एवं अनुबंध का समस्त व्यय ठेकेदार को करना होगा ।

21. निर्माण/भुगतान कि गई स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं सर्वमान्य होगा ।
22. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा सहकारी न्यायालय के अन्तर्गत होगा ।
23. निर्माण कार्य के दौरान बैंक अधिकारी/अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, निरीक्षण कर सकेंगें। उनके निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा ।

(प्रथम पक्षकार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
जगदलपुर

(द्वितीय पक्षकार)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम ....

....

साक्षीगण :–

1 ....

....

2 ....

....

.—: <u>अनुबंध / नियम व शर्ते</u> :—

1. निविदा प्रपत्र, छत्तीसगढ़ शासन अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों को ही प्रदाय किया जावेगा ।
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के पूर्व, ठेकेदारी हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, मुख्तारनामा साझेदारी, संविदा, श्रमिक नियम के अन्तर्गत पंजीयन पत्र, जीएसटी पंजीयन, आदि की छाया एवं मूलप्रति प्रस्तुत् करना होगा ।
3. निविदा प्रपत्र बैंक की संतुष्टि उपरान्त ही जारी किया जावेगा ।
4. **अमानत राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर की शाखाओं द्वारा जारी FDR के रूप में ही डिपाजिट एटकॉल / atcall बैंक FDR मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के खाते अमानती / earnest राशि के रूप में स्वीकार की जावेगी अन्य बैंकों का FDR स्वीकार नहीं किया जावेगा।**
5. अधोहस्ताक्षर कर्ता न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होगा ।
6. कार्य मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है ।
7. कार्य निर्धारित **C.P.W.D.** भारत शासन के स्पेसिफिकेशन अनुसार ही किया जाना होगा ।
8. बैंक द्वारा लोहा, छड़, सीमेन्ट, दरवाजे आदि किसी भी प्रकार की निर्माण सामाग्री सप्लाई नहीं किया जावेगा । समस्त सामाग्री ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।
9. सशर्त / कटी फटी एवं अस्पष्ट निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
10. निविदा स्वीकृत की समयावधि सात दिन (07 दिन) है । उससे पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा वापस ली जाती है, तो उसकी अमानत राशि बैंक हित में राज सात की जावेगी ।
11. ठेकेदार द्वारा निविदा बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में निर्धारित समय तक डालना होगा एवं अमानत राशि का **FDR** व्यक्तिगत रूप से बैंक को देना होगा ।
12. जिन ठेकेदारो ने पूर्व में इस बैंक में काम अधूरा छोड़ा है अथवा बगैर कारण कोई भी अनुबंध नहीं किया है उन ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र नहीं दिया जावेगा ।
13. बैंक किसी भी एक कम्पनी का सीमेन्ट लगाने हेतु बाध्य कर सकता है ।
14. कार्य / बैंक हित में कोई भी विशेष शर्त आरोपित कर सकता है ।
15. कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामाग्री का परीक्षण प्रमाण पत्र बैंक चाहे तो मांग सकता है ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा ।
16. बिल भुगतान राशि से शासकीय नियमानुसार आयकर, जीएसटी, श्रमिक कल्याण निधि अमानत राशि एवं अन्य कटौतियाँ की जावेगी ।
17. बिलों का भुगतान तीन किश्तों में किया जावेगा । प्रथम किश्त का भुगतान छत स्तर तक ईटा जुड़ाई, दरवाजा फिटिंग आदि कार्य के पश्चात् मेजर मेन्ट अनुसार **RES SOR दिनांक 01 / 11 / 2021 से प्रचलित दर** अनुसार किया जावेगा । द्वितीय किश्त का भुगतान छत कार्य पूर्ण करने के पश्चात् किया जावेगा एवं तृतीय किश्त का भुगतान कार्य पूर्णतः पश्चात् किया जावेगा ।
18. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा । किसी भी कारण से निर्माण कार्य की समय सीमा नहीं बढ़ाई जावेगी ।

19. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में जमा समस्त राशियाँ कार्य/बैंक हित में राजसात कर ली जावेगी । अपूर्ण कार्य अन्य एजेन्सी/बैंक द्वारा कराया जावेगा । अधिक व्यय की राशि राजसात राशि से समायोजित की जावेगी, राशि कम होने की स्थिति में ठेकेदार के द्वारा जमा करना होगा जमा नहीं करने की स्थिति में बैंक उचित न्यायालय के माध्यम से वसूल करेगा ।

20. बैंक द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश उपरान्त ठेकेदार को 500/– रूपये के नान जूडिसीयल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा एवं अनुबंध का समस्त व्यय ठेकेदार को करना होगा।

21. निर्माण/भुगतान कि गई स्थिति में बैंक को निर्णय अंतिम होगा एवं सर्वमान्य होगा ।

22. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा सहकारी न्यायालय के अन्तर्गत होगा ।

23. निर्माण कार्य के दौरान बैंक अधिकारी/अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, निरिक्षण कर सकेंगें, उनके निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)